न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 135/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रामुराम पुत्र पीराराम 2. धोकलराम पुत्र पीराराम दोनो जाति जाट, निवासी गांव पड़ासला, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर राजस्थान		1– भंवरलाल पुत्र मूलाराम, 2– मदनलाल पुत्र मूलाराम, 3– गुलाबचंद पुत्र मूलाराम, 4– सोनाराम पुत्र मूलाराम, 5– सम्पतदेवी पत्नी सोहनराम, 6– भगवानराम पुत्र सोहनराम, 7– जयदेव पुत्र सोहनराम, (रेस्पोन्डेंट संख्या 6 व 7 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सम्पतदेवी) 8– हवादेवी पत्नी मूलाराम, 9– आसुराम पुत्र सुजाराम, सभी जाती नाई, निवासी– गांव पड़ासला, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर। 10– तहसीलदार, ओसियां, जिला जोधपुर। 11– सोनाराम पुत्र पेमाराम, 12–नत्थु पत्नी पदमाराम, 13– केसुराम पुत्र दोलाराम, 14– भोमाराम पुत्र दोलाराम, 15– मोहनराम पुत्र दोलाराम, 16– मघाराम पुत्र दोलाराम, 17– अणची पत्नी दोलाराम, 18– तेजाराम पुत्र बुद्धाराम, 19– भंवराराम पुत्र बुद्धाराम, 20– जगदीश पुत्र बुद्धाराम, 21– चुन्नी पत्नी बुद्धाराम, 22– भंवरलाल पुत्र रामुराम, 23– आसुराम पुत्र रामुराम, नबालिग जरिये कुदरती वलिया माता रूकीदेवी 24– नानकराम पुत्र रामुराम, 25– रूकीदेवी पत्नी रामुराम, 26– जेठाराम पुत्र मोटाराम, 27– अणदु पत्नी मोटाराम, 28– भोमाराम पुत्र पीराराम, 29– खुमाराम पुत्र पीराराम, 30– देवाराम पुत्र पीराराम, 31– सोनाराम पुत्र पीराराम, 32– चुनाराम पुत्र देवाराम, 33– लिखमाराम पुत्र देवाराम, 34– चुतराराम पुत्र देवाराम, 35– तीजा पत्नी देवाराम, 36– पाबुराम पुत्र हीराराम,

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

		37– गंगाराम पुत्र हीराराम, 38– रूघनाथराम पुत्र हीराराम, 39– कोजाराम पुत्र नरसिंह 40– मोडाराम पुत्र नरसिंह 41– सोनी पत्नी नरसिंह, सभी जाति जाट, निवासी– गांव पड़ासला, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर राजस्थान

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–07–2016 जो अपील संख्या 23/2014 अनवान सोनाराम वगैरा बनाम भंवरलाल वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ओसियां द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री ए. आर. चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2,4, व 9 की ओर से
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–11–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट (अपीलांट व रेस्पोन्डेंट संख्या 11 से 41) ने विद्वान अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, ओसियां के समक्ष ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 264 सन् 1972 के विरूद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम पड़ासला में स्थित भूमि खसरा संख्या 662 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 665 रकबा 2 बीघा 9 बीस्वा कुल खसरे 2 कुल रकबा 5 बीघा, 17 बिस्वा आई हुई है, जिसमें से खसरा संख्या 665 में से 5 बिस्वा भूमि सड़क में चली गई थी। उक्त भूमि अपीलांट के खातेदारी की भूमि थी, जिसको अपीलांट द्वारा रेस्पोन्डेंट व रेस्पोन्डेंट के पूर्वजों को कोई बेचान नहीं किया गया बाबत प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील के निर्णय दिनांक 11.07.2016 से व्यतित होकर द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता गण उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा पड़ासला के खसरा संख्या 662, 665, में 5.17 बीस्वा भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के व अन्य सहखातेदारों के भूमि का सुजाराम पुत्र हणुताराम नाई के नाम म्यूटेशन संख्या 264 जारी दिनांक से 28–05–1972 के हुए नामान्तरकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी ओंसिया ने खारिज कर दी जबकि 3/–रूपये के स्टाम्प पर लिखापढ़ी के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण था, तथा उपखण्ड अधिकारी ओसिया ने कैम्प कोर्ट पल्ली मे म्याद के

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बिन्दु पर ठोस कागज पेश नहीं करने पर उक्त अपील दिनांक 11–07–2016 को खारिज कर दी।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सन् 1972 में रामूराम व धोकलराम नाबालिग थे तथा खातेदार हीराराम की मृत्यु 1964 में हो गई थी फिर भी बेचान 3/– रूपये के स्टाम्प पर बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 264 ग्राम पंचायत पड़ासला स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 27–06–1965 में हीराराम पुत्र खेराजराम के मृत्यु पर नामान्तरकरण संख्या 83 ग्राम पंचायत पड़ासला द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसमें यह साबित है कि हीराराम 1972 में जिन्दा नहीं था। कैम्प कोर्ट पल्ली का अपीलांटस को नोटिस ही नहीं दिया गया तथा उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने सुनवाई का अवसर दिए बिना म्याद के बिन्दु पर अपील खारिज कर दी।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के आदेश दिनांक 11–07–2016 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करने निवेदन किया।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण 264 मौजा पड़ासला 1972 में पारित हुआ था तथा अपील 2014 में की गई। लगभग 42 वर्ष पश्चात नामान्तरकरण अपील की गई। धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जुलाई 2014 में काश्त के समय रिकार्ड का पता लगने पर नकल प्राप्त कर अपील करना बताया जो सारहीन है, जबकि इस खसरे पर रेस्पोडेंट के मकान बने हुए है तथा तीन पीढ़ी से नाई का काम करते है। पूरे ग्राम को पता है फिर वे 40 वर्ष तक क्या देखते रहे। इन्ही खसरो में बने मकानों के बिजली पानी कनेक्शन लिये हुए है।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में 33 अपीलार्थी के सदस्यों में से मात्र 2 अपीलांट द्वितीय अपील लेकर आये है जो Delay Condon करने का कोई ठोस आधार भी नहीं दर्शाया है। अतः द्वितीय अपील खारिज किया जावें।

हमने अपील के तथ्यों दस्तावेजो तथा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस के बिन्दुओं का अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो पर मनन किया तथा अपीलांट द्वारा मौजा पड़ासला के नामान्तरकरण संख्या 264 जो 1972 में स्वीकृत किया गया था, की अपील के आधारों पर गौर किया। जिसमे विवाद ग्रस्त दोनों खसरे खसरा संख्या 662 व 665 कुल रकबा 5.17 बीघा में से खसरा संख्या 665 मे से 5 बिस्वा भूमि सड़क मे जाने का भी जिक्र किया है, लेकिन 1972 में तत्समय 3/– रूपये के स्टाम्प पर किये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण होना बताया है तथा बहस के दौरान इन खसरों की भूमि पर रेस्पोडेंटस के मकान बने होने एंव आबादी से लगते पूर्णतया बसने का जिक्र आया हैं एवं तत्समय के खाते की फलावर अनुसार चीमाराम, दोलाराम, सोनाराम पुत्र पेमाराम, भोमाराम, देवाराम, खुमाराम, मूलाराम, सोनाराम, रामूराम व धोकलराम पुत्र पीराराम 1/2 हिस्सा दर्ज था। हीरा पुत्र खेराज 1/4, नरसिंगा पुत्र हिरा 1/4 दर्ज था। प्रथम अपील

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में इन सभी के वारिसान कुल 33 अपीलांटगण थे। लेकिन द्वितीय अपील केवल रामूराम व धोकलराम जो खाते की प्रविष्टियां से 1/4 हिस्से का 7 वाँ 7 वाँ हिस्सा बनता है अपील लेकर आये है। 3/– रूपये के स्टाम्प पर लिखे बेचान पत्रावली पर उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति में यह पता नही लगता है कि रामूराम धोकलराम तत्समय नाबालिग थे तो कुदरती वली कौन बने? लेकिन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 5 में इनके नाबालिग होने का जिक्र नहीं है तथा 42 वर्षो तक किसका इन्तजार करते रहे तथा म्याद प्रार्थना पत्र मे जो आधार लिखे है, वो भी प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होते है। जबकि पूरे खसरो में क्रेतागणों के मकान बने हुए बताये तथा खरीददार सुजाराम के भी वारिसान रिकार्ड पर है जो कतिपय विरासत के नामान्तरकरण से 9 सहखातेदार है जिनके विरूद्ध अपील मात्र प्रथम अपील के अपीलांट संख्या 22 व 23 द्वारा अपील के फैसले दिनांक 11.07.2016 से पीड़ित होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

उपरोक्त निष्कर्षोपरान्त हम इस निर्णय पर पहुंचे है कि उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा म्याद के बिन्दु पर अपीलांट द्वारा ठोस कारण पेश नही करने से अपील खारिज की है उपरोक्त निर्णय मे हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। प्रश्नगत अपील मूल अपील के 33 अपीलांटस मे से दो अपीलांटस ने प्रस्तुत की है जिसका कोई कारण नही दर्शाया है फिर भी इन खसरों में अपीलांटस रामूलाल, धोकलराम पुत्र पीराराम को अपने हक हिस्से की पुनः खातेदारी प्राप्त करनी है तो वह सक्षम न्यायालय मे दावा करने हेतु स्वतंत्र है। जिसमें मौके के साक्ष्य, दस्तावेज सबूत व गवाहो से अपना दावा सिद्ध करने हेतु प्रावधान उपलब्ध है।

अतः अपीलांट अपील ठोस आधारों एंव कारणों पर आधारित नही होने से उक्त अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–07–2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

26/11/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर